न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 10/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/57

अपीलाण्ट :-
1. श्यामसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह जाति राजपूत, निवासी उमकली, तहसील रोहट जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :-
1. इन्द्राकंवर पत्नी हरीसिंह, जाति राजपूत, निवासी- उमकली, तहसील रोहट, जिला पाली।
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रोहट जिला पाली।
3. जरिये शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा वायद तहसील रोहट जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव
रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री निमेश सोनी

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 12.02.2025

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध तहसीलदार, पाली के नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 15.06.2023 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी वक्त बहस अनुपस्थित आये व रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री निमेश सोनी वक्त बहस उपस्थित आये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम उमकली के वर्तमान खातेदारी खसरा नम्बर 48 रकबा 38 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 99 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें अपीलाण्ट व अन्य की ओर से एक वाद खातेदारी घोषणा, बंटवाडा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 212 का रेस्पोडेंट्स व अन्य के विरूद्ध सहायक कलक्टर महोदय, रोहट के न्यायालय में सोहनसिंह वगैरह बनाम जब्बरसिंह वगैरह दिनांक 05.03.2021 को प्रस्तुत किया जिसके वाद संख्या 10/21 है उक्त वाद के साथ में धारा 212 का स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसके प्रार्थना पत्र संख्या 9/21 है, जिसकी तारीख पेशी दिनांक 24.04.2024 नियत हैं क्योंकि रेस्पोडेण्ट्स उक्त वाद एव स्थगन प्रार्थना पत्र में पक्षकार हैं एव उक्त वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेण्ट्स की तामील पूर्ण हो चुकी हैं एवं दिनांक 07.07.2021 को रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता खंगारराम जी पटेल ने वकालतनामा पेश कर दिया हैं इससे स्पष्ट है कि उक्त स्थगन आदेश की जानकारी रेस्पोडेण्ट्स को शुरू से भली भांति थी फिर भी न्यायालय

की अवमानना करने के उद्देश्य से माननीय सहायक कलक्टर महोदय, रोहट के न्यायालय की एवं न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की तोहीन करने की नियत से हाल ही में स्थगन आदेश के बावजूद गलत बेचाण के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के साथ मिलावट करते हुए जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 15.06.2023 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का नाम दर्ज करवा दिया और राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करवा दिया गया। चूंकि उक्त वाद एवं स्थगन आदेश में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 भूमिधारी तहसीलदार, रोहट को भी सम्मन एवं स्थगन के सम्मन प्राप्त हो चुके हैं एवं उक्त वाद में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की तलबी भी पूर्ण हो चुकी है। उक्त आदेश की रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 को पूर्णतया जानकारी होने के बावजूद भी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक से मिलावट कर जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करवा दिया गया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण की कार्यवाही की है जो अवैध व शून्यवृत होने से प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य है। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा जानबूझकर माननीय सहायक कलक्टर रोहट के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की तोहीन कर अवहेलना कर जैर अपील नामान्तरकरण एवं उक्त जैर अपील नामान्तरकरण के आधार पर एस.बी.आई. शाखा वायद में वादग्रस्त कृषि भूमि को रहन रख कर रहननामा के लिए नामान्तरकरण संख्या 613 दिनांक 14.07.2023 स्वीकृत करवा दिया जो भी पश्चातवर्ती नामान्तरकरण होने से काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध, कूटरचित व फर्जी होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण विधिनुसार ही स्वीकृत किया गया है व जैर नामान्तरकरण स्वीकृति की दिनांक को कोई भी निषेधाज्ञा प्रचलित नहीं थी। साथ ही अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 03 ने निवेदन किया कि उनके द्वारा सद्भावी दस्तावेजात के आधार पर ही जैर आराजी रहन रखी गई है। अतः जैर अपील सारहीन आधारों पर प्रस्तुत होने से सव्यय खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है। इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते अपील पेश करने की इजाजत में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देते है।

जिला कलक्टर, पाली

प्रकरण में समायतशुदा बहस, पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया तो प्रकट आया कि प्रकरण में विवादित नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 15.06.2023 को दर्ज होकर दिनांक 23.06.2023 को स्वीकृत हुआ है तथा इस नामान्तरकरण में जब्बरसिंह द्वारा अपने हिस्से का 100/361 वां हिस्सा रेस्पो. संख्या 01 इन्द्राकंवर को विक्रय–पत्र दिनांक 18.01.2021 की पालना में दर्ज किया गया है तथा पश्चातवर्ती नामान्तरकरण से इन्द्राकंवर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 613 दिनांक 14.07.2023 से अपने हिस्से को रेस्पो. संख्या 03 बैंक को रहन रख दिया है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजियात को लेकर अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 01 को शामिल करते हुए अपने पिता जब्बरसिंह के विरूद्ध सहायक कलक्टर, रोहट के यहां एक प्रकरण संख्या 10/21 दिनांक 05.03.2021 को दर्ज हुआ है जिसमें रेस्पो. संख्या 01 की ओर से दिनांक 09.04.2021 को अधिवक्ता भी उपस्थित हो चुके है। इसी वाद में एक स्थगन प्रकरण संख्या 09/21 में दिनांक 05.03.2021 में अग्रिम आदेश तक बेचान हस्तानान्तरण न करने व रहन न रखने के निर्देश जारीशुदा है।

उक्त समग्र विवेचन से यह सुस्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण संख्या 604 जो कि दिनांक 15.06.2023 को दर्ज किया गया है उस दिनांक को ~~अन्तिम~~ निषेधाज्ञा प्रचलित थी तथा रेस्पो. संख्या 01 को उसकी सचेष्ट जानकारी थी। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 52 Transfer Of Property Act 1882 वाद के दौरान किसी प्रकार का विक्रय/हस्तानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए अर्थात् राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखी जानी चाहिए। हालांकि विक्रय वाद दर्ज किये जाने से पूर्व का है तथा वाद में उक्त विक्रय की वैद्यता का विनिश्चियन किया जाना हो तो दौराने वाद व निषेधाज्ञा प्रचलित होने व उसकी जानकारी होने के बावजूद भी नामान्तरकरण संख्या 604 को खोले जाना विधि के शासन को नकारता है अर्थात् जैर नामान्तरकरण विधि–विरूद्ध है तथा न्यायालय के आदेश की अमर्यादा को दर्शाता है। अतएव ऐसे नामान्तरकरण को संरक्षण दिये जाने का कोई आधार नहीं है। लिहाजा विवादित नामान्तरकरण विधि विरूद्ध एवं निषेधाज्ञा के प्रचलित होने के कारण जारी किये जाने के कारण अपास्त किया जाता है।

जहां तक उक्त विवादित नामान्तरकरण के पश्चातवर्ती रेस्पो. संख्या 01 द्वारा रेस्पो. संख्या 03 को रहन रखे जाने का प्रश्न है, इस बाबत् बैंक अन्य किसी सम्पत्ति को रहन करवाने अथवा वसूली करने को स्वतंत्र है। सिर्फ बैंक के रहन रखे जाने के कारण विधि–विरूद्ध किसी क्रेता को जिसके अधिकारों का विनिश्चियन मूल वाद में होना है, उस रहन को अर्थात् क्रेता को मान्यता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उपर्युक्त निर्देशों द्वारा ग्राम उमकली के नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 15.06.2023 व उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 613 दिनांक 14.07.2023 को अपास्त किया जाता है तथा राजस्व रेकर्ड की पूर्व स्थिति को बहाल करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक **12.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली